महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः 910 /8–2/3(जे)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2010–11

प्रेषकः

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव
सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषितः

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभागः **देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2018**

विषय :महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में सिंचाई विभाग की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतीकरण किये जाने विषयक।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपेक्षानुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से अधिकाधिक स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाना है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी जिसमें महोदय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर किये जाने तथा गुणवत्तापूर्ण केन्द्राभिसरण के उद्देश्य से रेखीय विभागों के साथ संयुक्त शासनादेश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या 2649/I(2)–2017–17(16)/2015, दिनांक 05.12.2017 एवं शासनादेश संख्या 02/I(2)–2017–17(16)/2015, दिनांक 02.01.2018 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की गाईड लाईन के अनुसार सिंचाई नहरों की सफाई, सामान्य टूट–फूट एवं वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

4. उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सिंचाई नहर एवं नाली निर्माण, नहर सफाई, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, सिंचाई कुण्ड एवं अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारम्परिक जल निकायों का पुनरुद्धार, जलाशय (reservoir) का निर्माण एवं विकास, नदी पुनरुद्धार (River Rejuvenation), नदी किनारे वृक्षारोपण आदि कार्यों को सिंचाई विभाग की विभिन्न केन्द्रपोषित योजना, राज्य सेक्टर योजना, जिला योजना एवं अन्य अनुमन्य योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से किया जा सकता है। इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा एवं सिंचाई विभाग के केन्द्राभिसरण हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय–

- सिंचाई विभाग द्वारा योजना का चयन महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुमन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा जनपद की महात्मा गांधी नरेगा की वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करवाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का विस्तृत आगणन सक्षम तकनीकी

किया जायेगा तथा जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक उपलब्ध प्रस्तावों पर महात्मा गांधी नरेगा के दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

- विभागों द्वारा चयनित परियोजनाओं के विस्तृत आगणनों की प्राप्ति के पश्चात् सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश पारित करेंगे।
- जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा नामित विभाग, कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगे।
- कार्यस्थल पर कार्य, पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही सम्पन्न कराया जायेगा जिस हेतु सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से मांग की जायेगी तद्नुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों की सूची सिंचाई विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- सिंचाई विभाग द्वारा श्रमिकों को 15 दिन के भीतर कार्य आवंटन न दिये जाने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को किसी अन्य कार्य पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- विभाग द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एक स्वतंत्र कार्य के रूप में होगा जिसका पृथक वर्क कोड होगा तथा इसी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर eMR जारी किये जाएंगे। सिंचाई विभाग मस्टर रोल भर जाने पर अथवा कार्य की समाप्ति पर eMR को नरेगासॉफ्ट (MIS) में एन्ट्री किये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
- महात्मा गांधी नरेगा द्वारा वहन की जाने वाली श्रमांश की धनराशि eFMS/PFMS/NeFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में तथा सिंचाई विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई/सक्षम अधिकारी के माध्यम से सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- सिंचाई विभाग द्वारा कार्य की प्रगति प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी नरेगासॉफ्ट में अद्यतन करेंगे।
- सिंचाई विभाग द्वारा कार्य की जानकारी हेतु कार्यस्थल पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट के अनुसार निर्मित नागरिक सूचना पट्ट (CIB) शासनादेश संख्या 160/148/ एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2016–17 दिनांक 1 जून 2017 के अनुसार लगाया जायेगा।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग किसी भी स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इस प्राविधान का उल्लंघन आपराधिक कृत्य होगा।
- कार्य करते समय दुर्घटना से घायल व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल में भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी महात्मा गांधी नरेगा अंश से उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत देय होगी।
- महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत श्रमांश का अनुपात न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा सामग्री अंश का अधिकतम अनुपात 40 प्रतिशत अनुमन्य है। सिंचाई विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के

वहन महात्मा गांधी नरेगा से एवं सामग्री अंश का वहन यथासम्भव सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

- उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों तथा सिंचाई विभाग द्वारा होने वाला व्यय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार/प्रावधानों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- सिंचाई विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से निर्मित होने वाले परिसम्पत्तियों की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/सक्षम अधिकारी का होगा। साथ ही इसकी मासिक प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।
- केन्द्राभिसरण के माध्यम से किये जाने वाले प्रत्येक कार्य की geotagging महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाय। इसका उत्तरदायित्व जिला विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई का होगा।
- योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का महात्मा गांधी नरेगा एवं विभागीय योजना के दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक सम्प्रेक्षण किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों तथा महात्मा गांधी नरेगा दिशा–निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वित्तीय वर्ष 2018–19 में ससमय महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कराये जा सकें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव
सिंचाई

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास

संख्याः 910 /8–2/3(जे)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2010–11 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

महत्वपूर्ण

संः– 2649/ II(2)–2017–17(16)/2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के नहरों की सफाई एवं अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरों की सफाई एवं अनुरक्षण कार्य बजट के अभाव के कारण नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है जिससे सिंचन क्षमता का ह्रास होने से कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर नहरों की मरम्मत का कार्य वर्ष 2010–11 से लम्बित है, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के लिए आबंटित बजट का पर्याप्त उपभोग नहीं हो पा रहा है।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई नहरों की सफाई, सामान्य टूट–फूट एवं वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) की गाईड लाईन के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष स्वीकृति एवं वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संः– 2649/ II(2)–2017–17(16)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

अनुस्मारक /महत्त्वपूर्ण

सं0:— 02 / ।।(2)—2017—17(16) / 2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग—02 देहरादून, दिनांक 02 ~~दिसम्बर, 2017~~ जनवरी, 2018

विषय:— **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के नहरों की सफाई एवं अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 2649 / ।।(2)—2017—17(16) / 2015, दिनांक 05.12.2017 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के नहरों की सफाई एवं अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण शासन स्तर पर अद्यतन अप्राप्त है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) की गाईड लाईन के अनुसार सिंचाई नहरों की सफाई, सामान्य टूट—फूट एवं वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृत कराये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

सं0:— 02 / ।।(2)—2017—17(16) / 2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।